न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/24 वाद — GCMS NO : 2024/00003

पूर्व प्रकरण संख्या : 11/2018

1. श्री गेहरीलाल पिता प्रभुलाल लोहार, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, उदयपुर
2. श्री मांगीलाल पिता गोकल जी लोहार, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, उदयपुर
3. श्री बसन्तीलाल पिता केसुलाल जी लोहार, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, उदयपुर
4. श्री नरेन्द्र कुमार पिता केसुलाल जी लोहार, निवसी कुराबड़, तहसील कुराबड़, उदयपुर

....वादी

बनाम

श्री दिनेश कुमार पिता मोडा जी खटीक, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 12.08.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कुराबड, पटवार हल्का कुराबड़, तहसील कुराबड़ में आराजी संख्या 472 मी. रकबा 0.0125 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, तथा प्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा होकर इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार संयुक्त खातेदारी में होकर कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजीात के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से प्रार्थीगण की सहमति के बिना निर्माण कार्य करवाकर मकान बना दिया है। जिसका विरोध करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया। वादग्रस्त भूमि के पास ही प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी एवं अधिपत्य की आराजी 698/472 की भूमि स्थित है, जिस पर भी विपक्षी कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। अतः निवेदन है कि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि साबिक आराजी संख्या 352, 353, 354 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से विपक्षी के पिता श्री मोड़ा पिता डाउ जी खटीक ने 900 वर्गफिट भूमि श्री गोकुल पिता लाल जी लोहार जो प्रार्थीगण के पूर्वज थे, से जरिये रजिर्स्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.1980 को क्रय की, तब से उपरोक्त क्रयशुदा भूमि पर विपक्षी के पिता का कब्जा था। मोड़ा जी की मृत्यु के बाद विपक्षी उक्त भूमि पर काबिज है। इस प्रकार साबिक आराजी संख्या से हल आराजी संख्या 471? 472, 476 बने। आराजी 472 विपक्षी के पिता की खरीदशुदा भूमि है जिस पर विपक्षी विधिवत रूप से काबिज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होनी प्रतीत होती हो। जिससे प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested